न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारीः— बिन्दुबाला राजावत, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्याः— 92 / 2023 (वाद)
दायर दिनाकः— 12 / 07 / 2023
निर्णय दिनांकः— 26 / 02 / 2026

::अनवान::

1— सुशिला पुत्री ढगलाराम जाति भाबी, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा हाल निवासी गुडा रामसिंह पाली जिला पाली — वादीया

बनाम

1— राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमंद — प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 136, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी अधिवक्ता— राकेश सनाढ्य
प्रतिवादी अधिवक्ता— अनुपस्थित

—: निर्णयः—

वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88,136,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत किया है कि मौजा ग्राम सिन्देसर कलां, पटवार हल्का सिन्देसर कलां, तहसील क्षैत्र रेलमगरा की वर्तमान जमाबदी संख्या 707 में अंकित कृषि आराजी सख्यां 1729 / 1399 रकबा 0.2024 हेक्टेयर भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है। यह कि उक्त भूमि पूर्व में वादीया के पिता ढगलाराम पिता देवा भांबी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज थी। जो भूमि ढगलाराम की मृत्यु की पश्चात विरासत से नामान्तरकरण के जरिये ढगलाराम जी कि विधिक वारिसान क नाम पर विरासत के आधार पर दर्ज हुई। जिसमें वादीया का नाम सही रूप से अंकित नही कर पटवारी हल्का सिन्देसर कलां द्वारा वादीया का बोलता हुआ नाम काली दर्ज कर दिया गया है। तथा इसी आधार पर ग्राम पंचायम ने भी उक्त नामान्तरकरण वादीया के गलत नाम काली का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर निर्णित कर दिया गया है। जबकि वादीया का सही एवं रेकार्डेड नाम काली नहीं होकर सुशिला ही है तथा इसी नाम से वादीया से सभी दस्तावेज बने हुऐ होकर वर्तमान में इसी नाम सुशिला के नाम से ही गांव में जाना व वहचाना जाता है। तथा दस्तावेजो में भी यही नाम अंकित है। जिससे पटवारी हल्का द्वारा जो नामान्तरकरण में वादीया का गलत नाम काली के विरासत के रूप में काली वादीया के अन्य भाईयों के साथ अंकित कर दिया गया है। जो नाम आज भी बदस्तुर चला आ रहा है। जबकि काली नाम से वादीया के कोई रेकार्डेड दस्तावेज मोजुद

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

नहीं होकर वर्ममान में काली नाम अन्य कोई महिला ढगलाराम जी की विधिक वारिसान मोजुद नही है। जिससे वादीया उक्त भूमियों में अंकित नाम काली पुत्री ढगलाराम की जगह सुशिला पुत्री ढगलाराम का सहीं नाम दर्ज करवाना चाहती है। एवं उक्त लिपिकीय त्रुटि जो पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तरकरण भरते समय की गई थी उसे दुरूस्त कराकर उसकी जगह उपरोक्त अनुसार सही नाम अंकित करवाना चाहती है। इस हेतु उक्त वादपत्र वादीया की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि वादीया को उपरोक्त राजस्व रेकार्ड में गलत नाम दर्ज होने की पुर्व में कोई जानकारी नही थी। अभी कुछ समय पुर्व वादीया को जब उक्त भूमि पर ऋण की आवश्यकता हुई तब वादीया ने राजस्व रेकार्ड प्राप्त किया तब ही उक्त गलत इन्द्राज की जानाकारी प्राप्त हुई। एवं तभी वादीया ने अन्य दस्तावेज प्राप्त कर विधि अनुसार अविलम्ब उक्त वादपत्र बाबत् लिपिकीय भुल को दुरूस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि भविष्य में अन्य कोई परेशानियां वादीया को उत्पन्न नही होंवे। जो देरूस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्यथा वादीया के हक अधिकार की उक्त भूमियों के संबधं में भविष्य में वादीया को एवं वादीया के विधिक वारिसान् को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पडेगा एवं कई प्रकार के मुकदमे बढने की सम्भावना है। जिससे उक्त आशय का दुरूस्ती का अंकन कराया जाना नितान्त आवश्यक है।.यह कि उक्त संबंध में वादीया ने तहसीलदार रेलमगरा को उक्त आशय का शुद्विपत्र जारी कराने बाबत् निवेदन किया गया तो उनके द्वारा इन्कार कर देने से उक्त वादपत्र पेश किया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। साथ ही इस संबंध में ग्राम पंचायत सिन्देसर कलां द्वारा भी वादीया के पक्ष में प्रमाण पत्र भी जारी किया गया जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादीया को ही गांव में सुशिला एवं काली दोनो ही नाम से जाना जाता है। किन्तु रेकार्ड में नाम आरम्भ से ही काली ही दर्ज होने से उक्त आशय को दुरूस्ती का अंकन वादीया उपरोक्त अंकित राजस्व रेकार्ड में करवाना चाहती है। इस हेतु उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके साथ ही वादीया का आधार कार्ड व पेन कार्ड की प्रति भी वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। यह कि आज से एक माह पूर्व उक्त आशय की दुरूस्ती बाबत् तहसीलदार महोदय रेलमगरा को निवेदन किया गया तो उनके द्वारा इन्कार करने से वादपत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सिन्देसर कलां में स्थित होने से एवं उक्त संबंध में लिपिकीय भुल पटवारी हल्का सिन्देसर कलां द्वारा नामान्तरकरण में कर देने से उक्त मामले की सुनवाई की अधिकारिता माननीय आप न्यायालय को प्राप्त है।.यह कि वादीया का वाद विरूद्व राजस्थान राज्य तहसीलदार के विरूद्व प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का सूचना पत्र देना होता है लेकिन प्रतिवादी ने मौखिक रूप से मना कर दिया व मामला वादीया को लोन लेना आवश्यक को होने से आवश्यक प्रकृति का पाया जाने से धारा 80(2) का प्रार्थना पत्र वाद की स्वीकृति बाबत् वाद पत्र के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतः प्रार्थना है कि वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जावे कि वादपत्र कि कलम संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में वादीया का नाम काली पुत्री ढगलाराम है के बजाय घोषणा के जरिये राजस्व अभिलेख में सुशिला ईन्द्राज को दुरूस्त करते हुये राजस्व अभिलेखो में अंकन फरमाया जावे। अन्य कोई समूचित सहायता जो वादीया प्राप्त करने को अधिकारी है दिलाई जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी भूमिधारक ने जवाब प्रस्तुत किया की वादी अपने वाद को स्वंय साबित करावें।

उक्त दावे एंव जवाब दावे अनुसार पत्रावली पर निम्न तनकियात विरचित की गयी।

तनकी संख्या 01– आया की वादीया अपना नाम वाद पत्र की कालम संख्या 01 अनुसार शुद्वि कराने की अधिकारी । –वादीया

तनकी संख्या 02– आया की वादीया स्वंय साबित करें।

–प्रतिवादी

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन वक्त साक्ष्य PW-1 सुशिला पुत्री ढगलाराम जाति भाबी, निवासी सिन्देसर कला के शपथ–पत्र प्रस्तुत किया। वादी द्वारा इसके अतिरिक्त और कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, ग्राम पंचायत सिन्देसर कलां द्वारा भी वादीया के पक्ष में प्रमाण पत्र भी जारी किया गया। आधार कार्ड, पेनकार्ड, नामान्तकरण, जमाबन्दी की नकले प्रस्तुत कि गयी।

वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, R.T.A.का स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम सिन्देसर कलां, पटवार हल्का सिन्देसर कलां, की वर्तमान जमाबदी में अंकित आराजी सख्यां 1729/1399 रकबा 0.2024 हेक्टेयर भूमि वादीया का नाम काली पुत्री ढगलाराम है के बजाय सुशिला पुत्री ढगलाराम ईन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। इसी अनुसार डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 सरे इजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा

संख्यांक नं0 1

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला–राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 92 / 2023

अनवान

वादीपक्ष :–

1– सुशिला पुत्री ढगलाराम जाति भाबी, निवासी सिन्देसर कला, तहसील रेलमगरा हाल निवासी गुडा रामसिंह पाली जिला पाली

बनाम

प्रतिवादी पक्षः–

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमंद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 136, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वादी अधिवक्ता– अनिल यादव

प्रतिवादी अधिवक्ता– पैरोकार सरकार

मे इस आशय में दिनांक 26.02.2026 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 88,136 का स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम सिन्देसर कलां, पटवार हल्का सिन्देसर कलां, की वर्तमान जमाबदी में अंकित आराजी सख्यां 1729 / 1399 रकबा 0.2024 हेक्टेयर भूमि में वादीया का नाम काली पुत्री ढगलाराम है के बजाय सुशिला पुत्री ढगलाराम ईन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रेलमगरा पालना कर पालना रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे।

आज दिनांक को 26.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की गोल मोहर लगाकर जारी की गई।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा